



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042024-253979
CG-DL-E-30042024-253979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2024/वैशाख 10, 1946

No. 106]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2024/VAISAKHA 10, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2024

आ.अ. 115(अ).—यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना के द्वारा वर्तमान लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 के तृतीय चरण के लिए 12 अप्रैल, 2024 को अधिसूचना जारी की थी और निर्वाचन आयोग ने उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की थी और 7 मई, 2024 (मंगलवार) को मतदान दिवस के रूप में नियत किया था।

2. जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र के विभिन्न राजनैतिक दलों से 3-अनंतनाग-राजौरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की संभारतंत्रीय, संचारपरक और कनेक्टिविटी के प्राकृतिक अवरोधों, जो निर्वाचन प्रचार में बाधा के रूप सामने आ रहे हैं और जो उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उचित अवसर दिए जाने की कमी के रूप में परिणत हो रहे हैं और जिससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, के कारण इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

3. आयोग, संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाने के साथ-साथ उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्यमान जमीनी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन,

2024 के संबंध में निर्गत अपनी अधिसूचना सं. 464/2024/ईपीएस(3) दिनांक 12 अप्रैल, 2024 में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम	मतदान की अधिसूचित तारीख	मतदान की संशोधित तारीख
3-अनंतनाग-राजौरी	7 मई, 2024 (मंगलवार) (चरण-3)	25 मई, 2024 (शनिवार) (चरण-6)

4. आयोग की अधिसूचना सं. 464/2024/ईपीएस(3) दिनांक 12 अप्रैल, 2024 की शेष विषय-वस्तु अपरिवर्तित बनी रहेगी।

[सं. 464/2024/ईपीएस(3ए)]

आदेश से,

संजीव कुमार प्रसाद, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2024

O.N. 115(E).— Whereas, the President of India has, by notification issued under the provision of Sub-section (2) of Section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) issued Notification on 12th April, 2024 for 3rd Phase of ongoing General Election to House of People, 2024 and Election Commission issued notification under Section 30 and 56 of the said Act and fixed the Poll day on 7th May, 2024 (Tuesday).

2. Various representations have been received from different political parties of the UT of Jammu & Kashmir for shifting the date of poll of election from 3-Anantnag-Rajouri Parliamentary Constituency (PC) of Jammu & Kashmir, due to various logistic, communication and natural barriers of connectivity turning out as hindrance in campaigning which in turn tantamount to lack of fair opportunities for the contesting candidates in the said Parliamentary Constituency which may affect poll process.

3. The Commission, after seeking the factual report from UT administration and Chief Electoral Officer as well as analysing the ground situation prevailing in the said Parliamentary Constituency, and in exercise of the powers conferred by Section 56 of Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), hereby makes following amendments in the notification No. 464/EPS/2024(3), dated 12th April, 2024 issued in connection with General Election to Lok Sabha, 2024:-

No. & Name of Parliamentary Constituency	Notified Date of Poll	Revised Date of Poll
3-Anantnag-Rajouri	7 th May, 2024 (Tuesday) (Phase-3)	25 th May, 2024 (Saturday) (Phase-6)

4. The rest of the content of Commission's Notification No. 464/EPS/2024(3), dated 12th April, 2024 shall remain unchanged.

[No. 464/2024/EPS(3A)]

By Order,

SANJEEV KUMAR PRASAD, Secy.